कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ०ग०

---:: भर्त्ती विवरणी ::---

आवेदन शुल्क :- अ०जा० एवं अ०ज०जा० वर्ग हेतु :- 200/- रूपये।

अपिव एवं अनारक्षित वर्ग हेतु :- 300/- रूपये।

आवेदन शुल्क ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से इस संस्था हेतु जारी पंजाव नेशनल बैंक के चालू खाता क्रमांक 6117000100057150 IFS Code : PUNB0611700 में जमा करें। नॉन होम ब्रांच में शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी को बैंक चार्ज शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। शुल्क जमा होने पर ट्रांजेक्शन सफल होने का प्रमाण पर्ची पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदक की अभ्यर्थिता स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र को घोषणा पत्र के साथ **अधिष्ठाता, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ०ग०** पते पर दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 सायं 05:00 तक पंजीकृत डाक/स्पीट पोस्ट माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।

कार्यालय में सीधे आवेदन व कोरियर अथवा अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग.

// आवेदन पत्र //

नवीनतम रंगीन
स्व–हस्ताक्षरित
पासपोर्ट फोटो
चस्पा करें

प्रति,

अधिष्ठाता,
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग.।

- आवेदित पद का नाम :-..
- विज्ञापन क्रमांक व दिनांक :-..

1. नाम :-..
2. पिता/पति का नाम :-..
3. लिंग :-..
4. जन्म तिथि :-..
5. उम्र 01.01.2022 की स्थिति में :-वर्ष....................माह....................दिन..............
6. जाति/वर्ग/श्रेणी :- अजा/अजजा/अपिवर्ग/अनारक्षित
7. आवेदित पद के अनुसार आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रविष्ट करें :-

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	संस्था/वि.वि./बोर्ड का नाम	प्रतिशत	श्रेणी

8. राज्य/सरगुजा संभाग का स्थानीय/मूल निवास :- हाँ/नहीं। यदि हाँ तो जिला-........................
9. दिव्यांग :- हाँ/नहीं। यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :-..............................
10. भूतपूर्व सैनिक :- हाँ/नहीं।
11. आवेदक के पत्रव्यवहार का पता :-..

....

....

पिन कोड :-.................................... दूरभाष नं० ....

12. कोरोना काल में दिये गये सेवा नियुक्ति आदेश क्रमांक, दिनांक व कार्यालय का नाम :-...............

....

आवेदक का हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण टीप :- 1/आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा होने पर ट्रांजेक्शन सफल होने का प्रमाण पर्ची के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।
2/ आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

//घोषणा-पत्र//

मैं..पिता/पति...

निवासी..आवेदित पद..........................

पुरे होशो हवास में शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. में भरे गये आवेदन पत्र में प्रविष्ट की गई/भरी गई जानकारी सत्य एवं सही हैं। यदि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट की गई/भरी गई जानकारियों में किसी भी प्रकार की असत्यता/कूटरचित/विषमता पाये जाने अथवा पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं पाये जाने पर मेरा/मेरी आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। जिसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा/रहूंगी। इसमें संस्था अथवा अन्य कोई कार्यालय/व्यक्ति विशेष की कोई जिम्मेदारी अथवा जवाबदेही नहीं रहेगी।

दिनाँक :   /   /

आवेदक के हस्ताक्षर :.................................

आवेदक का पूरा नाम :...............................

पिता/पति का नाम :...............................

आवेदित पद का नाम :...............................

पता :..
....
....

पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट करने हेतु बंद लिफाफे के ऊपर दिये जाने के विवरण

आवेदित पद का नाम..

प्रति,

अधिष्ठाता,
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर,
जिला–सरगुजा छ.ग. ।
पिन कोड – 497001

प्रेषक,

नाम..
पिता का नाम......................................
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता.............................
....
....
पिन कोड...
मो०नं०...

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail – – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक/5800/स्था./शा.चि.म./2022 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55-दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **सहायक ग्रेड-03, मैट्रिक्स में वेतनमान 19500 – 62000 लेवल - 04** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
03	04	01	01	01 अजजा	00	00	09

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(4) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत् करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"*। इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

04.08.23

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./ 5801-07 /शा.चि.म./स्था./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यायल के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

04.08.23

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail – – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक 5808 /स्था./शा.चि.म./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04.08.2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55–दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **कोडिंग क्लर्क, मैट्रिक्स में वेतनमान 19500–62000 लेवल – 04** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	02	00	00	00	00	00	03

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत् करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"*। इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5809-15/शा.चि.म./स्था./2023
अम्बिकापुर, दिनाँक 04.08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail -- deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक/5816/स्था./शा.चि.म./2022 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

// **सीधी भर्ती विज्ञापन** //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12-28/2013/नौ/55-दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैट्रिक्स में वेतनमान 25300 – 80500 लेवल – 06** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	01	00	00	00	00	00	02

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"***। **इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5817-23/शा.चि.म./स्था./2023

अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail – – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक/5824/स्था./शा.चि.म./2022 अम्बिकापुर, दिनाँक..04-08-2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55–दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. (माइक्रोबायोलॉजी विभाग, वायरोलॉजी लैब) हेतु सृजित **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मैट्रिक्स में वेतनमान 25300 – 80500 लेवल – 06** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	00	00	00	00	00	00	01

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत् करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"*। इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5825-31/शा.चि.म./स्था./2023
अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail – – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक/5832/स्था./शा.चि.म./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04.08.2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55–दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **रिकार्ड कीपर, मैट्रिक्स में वेतनमान 19500 – 62000 लेवल – 04** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	01	00	00	00	00	00	02

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :– (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :–

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत् करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"*****। इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5833-39/शा.चि.म./स्था./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail -- deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक 5840 /स्था./शा.चि.म./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04.08.2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55–दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **रिकार्ड क्लर्क, मैट्रिक्स में वेतनमान 19500 – 62000 लेवल – 04** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	02	00	00	00	00	00	03

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***''कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा''***। **इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया हैं।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5841-47/शा.चि.म./स्था./2023 — अम्बिकापुर, दिनाँक 04.08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यायल के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail – – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक/5848/स्था./शा.चि.म./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55–दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **रिसेप्सनिस्ट क्लर्क, मैट्रिक्स में वेतनमान 19500 – 62000 लेवल – 04** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	01	00	00	00	00	00	02

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नियम शर्ते एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"***। **इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

04.08.23

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5849-55/शा.चि.म./स्था./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ. ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

04.08.23

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail -- deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक 5856/स्था./शा.चि.म./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55-दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **स्टेनो टायपिस्ट, मैट्रिक्स में वेतनमान 19500 – 62000 लेवल - 04** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	00	00	00	00	00	00	01

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हत्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(4) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत् करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"*। इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5857-63/शा.चि.म./स्था./2023
अम्बिकापुर, दिनाँक 04.08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail – – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्र./5864/शा.चि.म./स्था./2023 अम्बिकापुर, दिनाँक 04-08-2023

// सीधी भर्ती विज्ञापन //

---::oo::---

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55-दो, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. हेतु सृजित **स्टेनोग्राफर, मैट्रिक्स में वेतनमान 28700 – 91300 लेवल – 07** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेशानुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों** से दिनांक 05.08.2023 से 19.08.2023 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिवर्ग				
01	03	00	01	00	00	00	05

अनिवार्य शैक्षणिक अहर्त्ता :- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मन्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद से हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

नियम शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1- केवल अर्हत्ता प्राप्त उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत् करें।

2- अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हत्ता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हत्ता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था/कार्यालय की नहीं होगी।

3- अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हत्ताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हत्ता विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाये जाने पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगी। जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है।

6- आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7- अलग-अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।

8- पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक अथवा विलोपित की जा सकती है। इस संबंध में उम्मीद्वारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9- उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।

10- विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन हो।

11- दिनाँक 01-01-2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु-सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन किया जावेगा।

12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व स्वयं के नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

13- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के तहत् छुट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)) के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम सहित जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

15- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

16- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित/प्रतियोगी/कौशल/दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा। जिसमें 45 अंक लिखित/प्रतियोगी परीक्षा से, 45 अंक कौशल/दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनाँक 01 दिसंबर 2021 में दिये प्रावधानुसार ***"कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जायेगा"*। इस प्रकार कुल 100 अंको का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जावेगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत् किया जावेगा।**

17- पदों की भर्ती/परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाईट (www.gmcambikapur.co.in) एवं नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहें।

18- अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित/कौशल/प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

19- आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा, कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

20- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

21- विज्ञापन, चयन प्रक्रिया के किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक/टंकण/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

22- चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य/कुटरचित/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23- उम्मीद्वार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी निरस्त कर दिया जावेगा।

24- लिखित/प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

25- उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनाँक 29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर किया जावेगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता रहेगी।

26- उपरोक्त पद पर नियमानुसार सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

27- संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेण्डर वर्ष के अंतिम तिथि (31 दिसंबर) तक ही वैद्य रहेगी।

28- छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम (6) अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हत्ता लागू होगी।

29- किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश/नियमावली आदि लागू होंगे।

30- इन पदों पर नियुक्ति राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

अधिष्ठाता 04/08/2023
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ० क्र./5865-71 /शा.चि.म./स्था./2023 — अम्बिकापुर, दिनाँक 04.08-2023

प्रतिलिपि :-

1. **निज सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यायल के सूचना पटल में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठाता 04.08.23
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)